UPMZ010018782010

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी :– गरिमा सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06224

<u>सत्र परीक्षण संख्या :– 632 सन् 2010</u>

उत्तर प्रदेश राज्य..अभियोजन पक्ष

बनाम

1. ओमवीर पुत्र दिलेराम,
2. आदेश पुत्र ओमवीर,
3. राजकुमार पुत्र दिलेराम,
4. ओमकार पुत्र रामस्वरूप,

निवासीगण–ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा, थाना–मंसूरपुर, जिला–मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं0–895 सन् 2009,
धारा–307/34, 323/34, 504, 506 भा.दं.सं.,
थाना–मंसूरपुर, जिला–मुजफ्फरनगर।

एवं

UPMZ010018762010

<u>सत्र परीक्षण संख्या :– 633 सन् 2010</u>

उत्तर प्रदेश राज्य..अभियोजन पक्ष

बनाम

आदेश उर्फ आदिष पुत्र ओमवीर, निवासी ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा, थाना–मंसूरपुर, जिला– मुजफ्फरनगर।

.... अभियुक्तगण,

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.07.30 10:46:24 IST
Reason: JUDGEMENT
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

मुकदमा अपराध सं0–901 सन् 2009,
धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना–मंसूरपुर, जिला–मुजफ्फरनगर।

अधिवक्ता अभियोजन
विद्वान श्री अरूण कुमार शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी'
अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से – विद्वान श्री वकार अहमद 'एडवोकेट'

निर्णय

1. पुलिस थाना–मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश तथा राजकुमार के विरूद्ध धारा–307, 323, 504, 506 भा.द.सं. के अर्न्तगत तथा अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत पृथक–पृथक रूप से प्रेषित किए गए आरोप पत्रों पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–3, मुजफ्फरनगर द्वारा क्रमशः दिनांक 03.03.2010 एवं 19.02.2010 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा धारा–307 भा.दं.सं. का प्रकरण सत्र परीक्षणीय होने तथा धारा–25 आयुध अधिनियम का प्रकरण सत्र परीक्षणीय वाद से संबंधित होने के फलस्वरूप, दोनों प्रकरण दिनांक 26.04.2010 को सत्र सुपुर्द किए गए, जो सत्र सुपुर्द किए जाने के उपरोक्त दिनांक पर सत्र न्यायालय में प्राप्त होकर, क्रमशः सत्र परीक्षण सं0–632 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम ओमवीर आदि' एवं सत्र सत्र परीक्षण सं0–633 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम आदेश उर्फ आदिष' के रूप में माननीय सत्र न्यायालय एवं अन्य में लंबित रहने के पश्चात न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–11 मुजफ्फरनगर में अंतरित किए गए तथा उक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.07.2017 के अनुसार, वादी मुकदमा की ओर से अभियुक्त ओमकार पुत्र रामस्वरूप को तलब किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 स्वीकार करते हुए अभियुक्त ओमकार पुत्र रामस्वरूप को धारा–323, 307, 504, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात उक्त पत्रावली अन्य न्यायालयों में लंबित रहने के अनुक्रम में इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा प्रवीन पुत्र प्रकाशा द्वारा थाना–मंसूरपुर पर लिखित तहरीर प्रस्तुत कर, इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह गांव बोपाड़ा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दिनांक 01.12.2009 को समय करीब 7.00 बजे शाम उसकी मां श्रीमति मूरती देवी पत्नी प्रकाशा व उसका भाई अरविन्द कुमार

पुत्र प्रकाशा व पंकज पुत्र श्री हरपाल निवासीगण बोपाड़ा थाना मंसूरपुर उसके ताऊ के लड़के सोमवीर पुत्र जगदीश के घेर में अपने काम से आए थे, अपना काम करके अपने घर आ रहे थे। रास्ते में ओमवीर के घर के सामने घर में से ओमवीर पुत्र दिलेराम व आदेश पुत्र ओमवीर अपने–अपने हाथों में देशी कट्टे लिए हुए तथा राजकुमार पुत्र दिलेराम व ओमकार पुत्र रामस्वरूप निवासीगण बोपाड़ा अपने हाथ में तबल लिए हुए एकदम घर में से निकलकर आए और उसकी मां व उसके भाई व भाई के लड़के पंकज पर तमंचे सीने पर रखकर कहा सालों आज तुम्हें जान से मार देंगे, तुम में बहुत बिनावट आ गयी है। ये लोग उनसे पहले से रंजिश रखते हैं और जान से मारने के इरादे से दोनों तमंचों से एकदम फायर कर दिए, गाली उसके भाई अरविन्द व उसकी मां मूरती को लगी है तथा पंकज भी गंभीर रूप से घायल हो गया। शोरशराबा व गोली की आवाज सुनकर मौके पर आए विपिन पुत्र ओमवीर व अनिल पुत्र सुखबीर व गांव के बहुत से लोगों ने उसके भाई, मां व पंकज की जान बचायी और ये लोग मौके से एकदम भाग गए।

3. वादी मुकदमा प्रवीन द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना–मंसूरपुर पर अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश, राजकुमार तथा ओमकार के विरूद्ध दिनांक 01.12.2009 को मु0अ0सं0–895 सन् 2009 धारा–307, 323, 504, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत चिक एफ.आई.आर. किता की गयी, जिसका खुलासा जी.डी. मुकदमा कायमी/नकल रपट संख्या–15 समय 8.10 बजे दिनांक 02.12.2009 में किया गया। प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण किए जाने के अनुक्रम में, उनके द्वारा घटना स्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण कर, नक्शानजरी तैयार किया गया एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए तथा उक्त का उल्लेख केस डायरी में किए जाने के पश्चात् पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने जाने पर अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश तथा राजकुमार के विरूद्ध धारा–307, 323, 504, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्त आदेश से दर्शायी गयी बरामदगी की बाबत वादी मुकदमा एस.आई. देवीराम, थाना–मंसूरपुर द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 के आधार पर अभियुक्त आदेश के विरूद्ध थाना–मंसूरपुर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 11.12.2009 को वह मय कां0–822 सोमपाल मय एक जरब ए.के. 47 मय कारतूस व कां0–893 प्रमोद कुमार मय रक जरब एस.एल.आर. मय कारतूस के व सरकारी जीप को चलवाकर एच.सी.–41

जितेन्द्र सिंह के वास्ते बहवाले रपट नं0–19 समय 12.20 पर तलाश वांछित अभियुक्तगण संबंधित मु0अ0सं0–895/2009 धारा–307, 323, 504, 506 भा.दं.सं. में थाने से रवाना होकर तलाश करते हुए शाहपुर मोड़ पर पहुंचने पर जरिए मुखबिर खास मुकदमा हाजा में वांछित अभियुक्तगण ओमवीर व उसके लड़के आदेश उर्फ आदिश के कहीं जाने की फिराक में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के सामने चाय के खोखे पर खड़े होने तथा शीघ्रता करने पर पकड़े जा सकने की बाबत मिली सूचना पर यकीन करके मय मुखबिर मय हमराही कर्मचारीगण के जीप से बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के गेट के पास पहुंचे, जीप खड़ी कर मुखबिर ने चाय के खोखों पर खड़े दो व्यक्तियों की तरफ इशारा किया और चला गया। तभी एकदम दबिश देकर दोनों व्यक्तियों को समय करीब 13.30 बजे दिन पकड़ा लिया, पकड़ने पर नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली, तो एक ने अपना ओमवीर पुत्र दिलेराम पाल निवासी ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर बताया तथा दूवसरे ने अपना नाम आदेश उर्फ आदिष पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा थाना मंसूरपुर बताया, जो मुकदमा हाजा के नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट में हैं। तलाशी लेने पर पहने कपड़े एवं कुछ खर्च के 40/–रूपए मिले। अरविन्द को तमंचे से फायर कर घायल करने की बाबत तमंचे के बारे में पूछने पर आदेश उर्फ आदिष ने बताया कि उसने अरविन्द पर तमंचे से फायर किया था और वह तमंचा उसने भागते हुए काली नदी के किनारे झाड़ियों में एक पोलीथीन में रखकर जिसमें एक जिंदा कारतूस 315 बोर व एक चला हुआ खोखा कारतूस जो नाल में तमंचा 315 बोर का चालू हालत में रखकर झाड़ियों में छिपाकर रखा है, जिसको वह चलकर बरामद करा सकता है, जिससे उसने अरविन्द पर फायर किया था। बाउम्मीदगी बरामदगी हेतु मय हमराहीगण मय जीप से व हिरासत अभियुक्तगण मय जीप से व हिरासत अभियुक्तगण को लेकर काली नदी पर आया, जनता के निष्पक्ष गवाहान फराहम करने की कोशिश की गयी तो भलाई बुराई के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। अतः बामजबूरी आपसी जामातलाशी ले देकर यकीन किया किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। अतः जीप काली नदी के पुल के निकट खड़ी कर अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष को कां0–822 सोमपाल की हिरासत में लेकर आगे–आगे चलकर नदी के किनारे नदी के पश्चिमी–दक्षिणी तरफ पुल से करीब 25 कदम की दूरी पर अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष ने अपने हाथों से झाड़ियों में

से एक पोलीथीन में लिपटा हुआ एक तमंचा 315 बोर निकालकर दिया, जिसको करीब 15.10 बजे पुलिस कब्जे में लेकर देखा तथा उसकी हुलिया इस प्रकार है – नाल लोहा करीब आठ अंगुल, जिसकी नाल आगे कुछ पतली है, बाड़ी लोहे की छः अंगुल, बट पांच अंगुल जिस पर दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगी है कुल लम्बाई एक बालिस्त तीन अंगुल है, हैमर व ट्रैगर लगा है तथा नाल को खोलने व बंद करने का स्प्रिंगदार लीवर लगा है तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर पीतल का तथा नाल में एक खोखा चला हुआ 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष ने बताया कि यह वही तमंचा है, जिससे उसने अरविन्द पर फायर किया था। बरामदा तमंचा, कारतूस व खोखा कारतूस को उसी पोलीथीन की थैली में रखकर, एक कपड़े में रखकर सींकर सर्वे मोहर किया गया, नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर फर्द बरामदगी तैयार कर हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर, सुनाकर गवाही बनवायी तथा मानवाधिकार प्रपत्र तैयार कर गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के घर दी जाएगी। फर्द की नकल देकर अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये।

5. वादी मुकदमा एस.आई. देवीराम द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर थाना–मंसूरपुर पर अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष के विरूद्ध दिनांक 11.12.2009 को मु0अ0सं0–901 सन् 2009 धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत चिक एफ. आई.आर. किता की गयी, जिसका खुलासा जी.डी. मुकदमा कायमी/नकल रपट संख्या–22 समय 15.45 बजे दिनांक 11.12.2009 में किया गया। प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण किए जाने के अनुक्रम में, उनके द्वारा घटना स्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण कर, नक्शानजरी तैयार किया गया एवं गवाहान के बयान अंकित किए गए तथा उक्त का उल्लेख केस डायरी में किए जाने के पश्चात् पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने जाने पर अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश तथा राजकुमार के न्यायालय में उपस्थित आने के उपरांत उनके विरूद्ध धारा–323/34, 307/34, 504, 506 भा.दं.सं., अभियुक्त ओमकार के विरूद्ध धारा–323/34, 307/34, 504, 506 भा.दं.सं. तथा अभियुक्त आदेश के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत

पृथक–पृथक रूप से विरचित किए गए आरोप को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

7. पत्रावली में संलग्न आदेश–पत्र के अनुसार सत्र परीक्षण सं0–632 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम ओमवीर आदि' एवं सत्र सत्र परीक्षण सं0–633 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम आदेश' आदि को समेकित करते हुए सत्र परीक्षण सं0–632 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम ओमवीर आदि' की पत्रावली को अग्रणी पत्रावली बनाया गया। उपरोक्त दोनों पत्रावलियों के एक ही घटना से संबंधित होने के फलस्वरूप, सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

8. अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप को न्यायालय में दौरान विचारण साबित करने हेतु निम्न अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया –

कम संख्या	गवाह का नाम	विवरण
पी.डब्ल्यू–1	प्रवीण	वादी मुकदमा
पी.डब्ल्यू–2	अरविन्द	चुटैल
पी.डब्ल्यू–3	डॉ0 प्रदीप मित्तल	चिकित्सक
पी.डब्ल्यू–4	एस.आई. मोईयादीन सिंह	एफ.आई.आर. लेखक
पी.डब्ल्यू–5	डॉ0 संजय पाण्डेय	चिकित्सक
पी.डब्ल्यू–6	डॉ0 दीपक गोयल	चिकित्सक
पी.डब्ल्यू–7	सेवानिवृत्त निरीक्षक भारतवीर	विवेचक
पी.डब्ल्यू–8	सेवानिवृत्त निरीक्षक देवीराम	विवेचक/वादी बाबत बरामदगी एक अदद तमंचा मय खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस
पी.डब्ल्यू–9	उपनिरीक्षक संजयपाल	एफ.आई.आर. लेखक
पी.डब्ल्यू–10	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामपाल सिंह	विवेचक
पी.डब्ल्यू–11	पंकज	चुटैल
पी.डब्ल्यू–12	मूर्ति देवी	चुटैल

9. अभियोजन द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है –

सत्र परीक्षण सं0–632 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम ओमवीर आदि'
एवं
सत्र परीक्षण सं0–633 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम आदेश'

क्र.सं.	साबित किए गए प्रपत्र	प्रदर्श	शिनाख्तकर्ता
1	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1	पी.डब्ल्यू–1
2	चिकित्सीय परीक्षण आख्या चुटैल पंकज	प्रदर्श क–2	पी.डब्ल्यू–3
3	चिकित्सीय परीक्षण आख्या चुटैल श्रीमति मूर्ति	प्रदर्श क–3	पी.डब्ल्यू–3
4	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–4	पी.डब्ल्यू–4
5	जी.डी. मुकदमा कायमी	प्रदर्श क–5	पी.डब्ल्यू–4
6	जी.डी. नष्टीकरण आख्या	प्रदर्श क–6	पी.डब्ल्यू–4
7	चुटैल अरविन्द को आई. सी.यू. में दाखिल करने की बाबत रजिस्टर की छायाप्रति	प्रदर्श क–7	पी.डब्ल्यू–5
8	आपरेशन रिपोर्ट बाबत चुटैल अरविन्द	प्रदर्श क–8	पी.डब्ल्यू–5
9	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट बाबत अरविन्द	प्रदर्श क–9	पी.डब्ल्यू–6
10	आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–307, 323, 504, 506 भा.दं.सं.	प्रदर्श क–10	पी.डब्ल्यू–7
11	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–11	पी.डब्ल्यू–8
12	नक्शानजरी	प्रदर्श क–12	पी.डब्ल्यू–8
13	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–13	पी.डब्ल्यू–8
14	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–14	पी.डब्ल्यू–8
15	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–15	पी.डब्ल्यू–9
16	जी.डी. मुकदमा कायमी	प्रदर्श क–16	पी.डब्ल्यू–9
17	नक्शानजरी	प्रदर्श क–17	पी.डब्ल्यू–10
18	अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाए जाने हेतु प्राप्त जिला मजिस्ट्रेट अनुमति–पत्र	प्रदर्श क–18	पी.डब्ल्यू–10
19	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–19	पी.डब्ल्यू–10

10. अभियाजन द्वारा निम्न माल मुकदमा को न्यायालय में दौरान साक्ष्य साबित कराया गया –

क.सं.	साबित की गयी वस्तु	वस्तु प्रदर्श	शिनाख्तकर्ता
1	तमंचा	वस्तु प्रदर्श–1	पी.डब्ल्यू–8
2	खोखा कारतूस	वस्तु प्रदर्श–2	पी.डब्ल्यू–8
3	एक अदद जिंदा कारतूस	वस्तु प्रदर्श–3	पी.डब्ल्यू–8
4	कपड़ा पुलिंदा	वस्तु प्रदर्श–4	पी.डब्ल्यू–8

11. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' की ओर से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में आदेश–पत्र पर किए गए पृष्ठांकन के प्रकाश में अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

12. प्रस्तुत आपराधिक वाद में अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किए गए, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना, अभियुक्त आदेश की निशानदेही पर बरामद होना दर्शाए गए एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर की बरामदगी तथा पी.डब्ल्यू–1 व पी.डब्ल्यू–2 द्वारा दिए गए बयान को गलत होना कहते हुए, पी.डब्ल्यू–3, पी.डब्ल्यू–4 एवं पी. डब्ल्यू–5 द्वारा अभियोजन को लाभ पहुंचाने के लिए गलत गवाही दिए जाने का कथन किया। अभियुक्तगण ने पी.डब्ल्यू–6, पी.डब्ल्यू–9 एवं पी.डब्ल्यू–10 द्वारा गलत गवाही दिया जाना कहते हुए पी.डब्ल्यू–7 द्वारा गलत विवेचना किए जाने का कथन किया है तथा पी.डब्ल्यू–11 एवं पी.डब्ल्यू–12 द्वारा दिए गए साक्ष्य के संबंध में 'कुछ नहीं' कहते हुए अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य पेश करने का कथन करते हुए यह भी कथन किया है कि गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा मुकदमा चला, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

13. बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

14. मैंने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

15. उ.प्र. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों ने अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष के कब्जे घटना में प्रयुक्त तमंचे को बरामद किया गया है। मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का केस पूर्णतया साबित है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उसके परिजनों के साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही तमंचे से गोली चलाकर वादी मुकदमा के भाई को घायल किया। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किए जाने के फलस्वरूप, अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

17. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश, राजकुमार एवं ओमकार के विरूद्ध धारा–323/34, 307/34, 504, 506 भा.दं.सं. एवं अभियक्त आदेश उर्फ आदिष के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं।

18. उभयपक्ष के उपरोक्त तर्को के आलोक में अब यह देखा जाना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है, अथवा नहीं।

निष्कर्ष

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 01.12.2009 को समय 7.00 बजे शाम, स्थान ग्राम बोपाड़ा स्थित ओमवीर के घर के सामने, अंतर्गत थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा प्रवीन के भाई को तमंचों से फायर मारकर चोटें पहुंचाई तथा वादी की माता व भाई के पुत्र पर लाठी–डण्डों व तबल से प्रहार करके घायल कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए तथा उनके साथ लात, घूसों से मारपीट करके स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए

गालीगलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष की निशानदेही पर उपरोक्त घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए।

तथ्य के साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य की समीक्षा

20. अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–1** के रूप में परीक्षित कराए गए वादी मुकदमा प्रवीण ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि ये घटना दिनांक 01.12.2009 के शाम के करीब 7.00 बजे की है, उस रोज वह, पंकज, अरविन्द, मूर्ति वे सब अपने ताऊ के घेरसे अपने घर की तरफ जा रहे थे, जब वे ओमवीर पुत्र दिलेराम के मकान के सामने पहुंचे, तो वहां पर अपने घरसे ओमवीर पुत्र दिलेराम, आदेश पुत्र ओमवीर अपने हाथों में देशी कट्टे तथा राजकुमार पुत्र दिलेराम, ओमकार पुत्र रामस्वरूप अपने हाथों में तबल व लाठी लेकर आए, इन्होंने आते ही जान से मारने की धमकी दी और सीने पर तमंचा रखा, फिर इन्होंने गोली चला दी, गोली मारने के लिए चला दी थी, गोली अरविन्द व अम्मा उसकी घायल हुए। राजकुमार ने डण्डे, तबल से वार किया, उससे पंकज घायल हुआ। ओमकार ने पंकज पर भी वार किया था। उन्होंने शोर मचाया था। उनके शोरपरसुखवीर का लड़का अनिल, ओमवीर का लड़का विपिन और आसपास के सभी लोग आ गए थे, इन्होंने उन्हें बचाया। फिर चुटैलों कोबेगराजपुर अस्पताल इलाज के लिए ले गए थे। अरविन्द को बेगराजपुर मेडिकल ले गए थे, बाकी को सरकारी अस्पताल लाए, बाद में अरविन्द को मेरठ रैफर कर दिया। गवाह ने अमित से लिखाकर पर थाना मंसूरपुर पर दी गयी तहरीरी रिपोर्ट को अपने सामने होना तथा इस पर अपने हस्ताक्षर होना कहते हुए उक्त तहरीरी रिपोर्ट को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है। गवाह ने अभियुक्त ओमकार की बाबत मुख्यपरीक्षा दिनांकित 17.11.2025 में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व की है। 01.12.2009 की घटना है। उसके भाई के साथ झगड़ा हुआ था। उसके भाई का झगड़ा ओमवीर, आदेश, राजकुमार के साथ हुआ था। उसका भाई घायल हुआ था। घटना शाम के सात बजे की है। उसके आज से पहले भी बयान हुए थे। इस मुकदमे में उसके भाई को चोट लगी थी। उसने पहले बयान में घटना सारी बतायी थी। उसके भाई को गोली लगी थी, वह उस

समय वहां मौजूद नहीं था। वह अपने ताऊ के घेर में था। झगड़ा महेन्द्र के मकान के पास हुआ था। दोनों जगह ताऊ के घेर और महेन्द्र के मकान में 100 मी0 की दूरी है। उसने घटना की तहरीर अमित से लिखवकर दी थी। घायल को मेडिकल बेगराजपुर अस्पताल लेकर गए थे। तहरीर उसने बोलकर लिखायी थी। गोली उसके भाई के पेट में लगी थी। गवाह ने तहरीर देखकर अपने पूर्व में इस तहरीर पर न्यायालय में हुए बयान पर अंकित अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करना कहते हुए यह कहा है कि तहरीर पर पूर्व में प्रदर्श क—1 डाला जा चुका है।

21. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू—1 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''मैंने यह घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी थी। तबल एक लकड़ी के डन्डे में कीलों से जड़ा हुआ लोहे का फल (ब्लेड) होता है, जो धारदार हथ्यिार होता है। मुलजिमान राजकुमार व ओमकार दोनों के पास घटना के समय तबल नहीं थे। मेरी रिपोर्ट में यह बात गलत लिखी है कि राजकुमार व ओमकार दोनों मुलजिमों पर तबल थे। इस घटना की बाबत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। मैंने दरोगा जी को अपने बयान में राजकुमार व ओमकार दोनों पर तबल होना बताया था। मुलजिम राजकुमार पर तबल व ओमकार पर लाठी थी। घटना के समय मुलजिम राजकुमार ने तबल चलाया था व ओमकार ने लाठी चलायी थी। राजकुमार मुलजिम पर घटना के समय लाठी नहीं थी, न ही उसने लाठी चलाई। मेरे मुख्य बयान में राजकुमार के द्वारा लाठी, डन्डा चलाना गलत लिखा है। मैंने अपने बयान में दरोगा जी को यह बताया था कि घटना में राजकुमार व ओमकार द्वारा तबल, लाठी, डण्डे चलाये थे। अगर ये बात दरोगा जी ने मेरे बयान में नहीं लिखी, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी रिपोर्ट में यह बात लिखायी थी या नहीं कि ओमकार ने पंकज पर भी वार किया था। गवाह ने अपनी रिपोर्ट तहरीरी पढ़कर कहा कि इसमें यह बात नहीं लिखी है कि मैंने अपने बयान में दरोगा जी को यह बताया था कि ओमकार ने पंकज पर भी वार किया था। मेरी रिपोर्ट में ये बात गलत लिखी है कि पंकज पर एकदम तमंचा सिर पर रखकर कहा। मेरे बयान 161 में यह बात गलत लिखी है कि पंकेज के सिर पर तमंचा रखकर कहा। ये बात मेरे बयान में दरोगा जी ने कैसे लिख दी, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मेरी मां को तमंचे के फायर से चोट आयी थी। पंकज को तमंचे से चोट नहीं आयी थी। दरोगा जी मेरे सामने घटनास्थल पर नहीं आए थे। घटनास्थल

का नक्शानजरी दरोगा जी ने मेरे सामने नहीं बनाया था। जब दरोगा जी ने नक्शानजरी बनाया, तब मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मैंने घटनास्थल पर कहीं भी खून पड़ा हुआ नहीं देखा था। मैं अरविन्द को घटनास्थल से इलाज के लिए लेकर गया था। मैं बेगराजपुर मेडिकल अस्पताल में ले गया था। अरविन्द को मेरठ के लिए रैफर कर दिया था। मैं अरविन्द को लेकर मेरठ नहीं गया था। मेरे भाई अरविन्द ने घटना वाले दिन श्रीमति शिमला पत्नी राजकुमार के साथ कोई मारपीट व छेड़छाड़ नहीं की थी। यह कहना भी गलत है कि मेरे पास तमंचा रहा हो और मैंने राजकुमार को जान से मारने की नीयत से फायर किया हो, लेकिन अरविन्द के तबल की चोट से राजकुमार नीचे गिर गया हो और वो गोली जो मैंने राजकुमार पर चलायी थी, वो अरविन्द को जा लगी हो। मैंने पहले बयान में घटना सारी बतायी थी। मेरे भाई को गोली लगी थी, मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था, मैं अपने ताऊ के घेर में था। तहरीर मैंने बोलकर लिखायी थी। गोली मेरे भाई के पेट में लगी थी। गवाह ने तहरीर देखकर कहा कि मेरा पूर्व में इस तहरीर पर बयान न्यायालय में हुआ था, इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। यह कहना सही हे कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई। तहरीर अमित ने लिखी थी और उसे पढ़कर सुनाई थी।''

22. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–2** के रूप में परीक्षित कराए गए चुटैल अरविन्द ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ यह कथन किया है कि ये घटना दिनांक 01.12.2009 शाम 7.00 बजे ओमवीर के घर के सामने की है। उनका घर भी ओमवीर के घर के सामने ही पड़ता है, उसी दिन दोपहर को वह मंसूरपुर बैंक में गया था, यूनियन बैंक मैन अड्डे के पास मंसूरपुर में है। बैंक के पास राजकुमार हलवाई की दुकान है। जब वह बैंक से बाहर निला, तो राजकुमार के साथ उसकी हल्की कहासुनी हुई थी और उसके सिर में चोट भी आयी थी। उसने इस कहासुनी की कोई रिपोर्ट नहीं करायी थी, क्योंकि गांव में प्रधान जी ने उनका फैसला करा दिया था। जो घटना उसने शाम के 7.00 बजे वाली बतायी है, उस समय वह व उसकी मम्मी मूर्ति देवी, पंकज पुत्र हरपाल, उसके बड़े भाई प्रवीण अपने ताऊ के घेर में से होकर अपने घर वापस आ रहे थे। उसका बड़ा भाई प्रपवीण कुमार उससे कुछ दूरी पर था। जैसे ही वह व उसके साथी मूर्ति देवी, पंकज पुत्र हरपाल, उसके बड़े भाई प्रवीण ओमवीर पुत्र दिलेराम के घर के सामने पहुंचे तो वहां पर ओमवीर, आदेश, देशी कट्टे लिए हुए और ओमकार हाथ में

लाठी लिए तथा राजकुमार हाथ में तबल लिए हुए आए, आदेश व ओमवीर ने सीने पर रखकर तमंचे कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत बनावट आ गयी है, इस बात को वह नागौर करके आगे चल दिया, तब ही पीछे से आदेश ने उसके ऊपर गोली चलायी। उसके बाद ओमवीर ने उसके ऊपर गोली चलायी, राजकुमार व ओमकार ने लाठी व तबल लेकर पंकज व उसके व उसकी मम्मी पर वार किए। शोर शराबे पर उसका बड़ा भाई प्रवीण कुमार आ गया था। प्रवीण कुमार के बाद अनिल कुमार पुत्र सुखवीर सिंह, विपिन पुत्र ओमवीर मौके पर आ गए थे। इसके बाद उसे मेडिकल बेगराजपुर ले गए थे। उसे गंभीर हालत देखते हुए मेरठ रैफर कर दिया था, जहां पर उसका एम प्रकाश अस्पताल में इलाज चला, वहां पर वह करीब 11 दिन जेरे इलाज रहा। घटना के वक्त लाईट आयी हुई थी। घटना से पहले वह गुजरात में ठेकेदार के पास कार्य करता था। वह अपने भानजे की शादी में अपने गांव आया हुआ था। मुलजिमान सब उसके गांव के हैं, वह इन्हें जानता है। उक्त साक्षी ने पुत्र मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना कितने दिन पूर्व की है, उसे याद नहीं है। उसका 2023 में एक्सीडेन्ट हो गयाथा, अब वह कुछ भी बता नहीं सकता। उसका अब भी इलाज चल रहा है। उसने आज से पहले कोई बयान दिया था, ये उसे ध्यान नहीं आ रहा है। उसके साथ किसी ने मारपीट की थी, उसे ध्यान नहीं है, न ही उसे चोट के विषय में कुछ याद है। पत्रावली जिसमें गवाही देने आया है, की घटना कब की है, उसे नहीं पता। उसे कुछ भी याद नहीं है।

23. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू—2 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''मैंने पुलिस को अपने बयान में यह बताया था कि तभी पीछे से आदेश ने मेरे ऊपर गोली चलायी, उसके बाद ओमवीर ने मेरे ऊपर गोली चलायी। अगर यह बात मेरे बयान 161 सी.आर.पी.सी. में नहीं लिखी, तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मैंने मुझ पर गोली चलाने वालों में आदेश का नाम भी बताया था। अगर मुझ पर गोली चलाने वालों में आदेश का नाम नहीं लिखा, तो मैं कोई वजह नहीं बता सकता।''

24. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू—11** के रूप में परीक्षित चुटैल पंकज ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.12.2009 को समय करीब शाम 7.00 बजे की बात है। वह जीने पर से फिसल गया था। उसके सिर फिसलने से चोट लग गयी थी। उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। राजकुमार,

ओमकार, ओमवीर व आदेश उसके मौहल्ले के हैं, इन लोगों ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की। उसके सामने अरविन्द, श्रीमति मूर्ति देवी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था।

25. अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–11 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''गवाह को उसका 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया। गवाह ने सुनकर कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने बयान कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 01.12.2009 को समय शाम के 7.00 बजे ग्रगाम बोपाड़ा में अभियुक्त ओमवीर, राजकुमार, आदेश व ओमकार ने लाठी–डण्डों से हमला कर मुझको चोट पहुंचाई हो और यह कहना भी गलत है कि इसी दिनांक को अरविन्द के परिवार के साथ किसी बात को लेकर मारपीट की गयी हो और मुझे और मेरी दादी मूर्ति देवी को इस घटना में चोट आई हो।''

26. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–12** के रूप में परीक्षित चुटैल मूर्ति देवी ने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग 15–16 साल पहले की घटना है। वह अपने घर से रास्ते से जा रही थी। वह जैसे घर की तरफ वापस मुड़ी, तो पीछे से रास्ते में किसी ने डण्डा मार दिया था। शाम करीब 7.00 बजे की बात है, वहां बहुत अंधेरा था। वह और उसका लड़का वे दोनों ही थे। उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था और उसके लड़के को चोट लगी थी और कैसे लगी, उसे नहीं पता था।

27. अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–12 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''गवाह को उसका 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया और समझाया गया। गवाह ने सुनकर, समझकर कहा कि मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि घटना दिनांक 01.12.2009 को मेरे लड़के अरविन्द के साथ मिल मंसूरपुर में सामान खरीदने गया हो और वहां पर उसको राजकुमार मिला और राजकुमार ने वहां पर उसके साथ मारपीट किया हो और ईंट मारकर उसके सिर में चोट पहुंचाई हो। यह कहना भी गलत है कि दोनों पक्षों को प्रधान जी ने बुलाकर समझौता कराया हो। यह कहना गलत है कि राजकुमार, आदेश ओमवीर व ओमकार ने हम लोगों के साथ मारपीट

की हो और आदेश ने जान से मारने की नीयत से फायर किया हो। यह कहना भी गलत है कि इस घटना में मैं और मेरा लड़का घायल हुए हों।''

<u>औपचारिक साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य</u>

28. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–3** के रूप में परीक्षित डॉ0 प्रदीप मित्तल ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 01.12.2009 को सी.एम.ओ. के पद पर जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में तैनात था। उसने उस दिन रात 10.30 बजे पंकज उम्र 22 साल पुत्र हरपाल सिंह पता ग्राम भौपाडा थाना मन्सूरपुर मुजफ्फरनगर जिसे होमगार्ड 3374 दिनेश थाना मन्सूरपुर लेकर आया था। चोटों का मुआयना किया गया था, उसमें निम्न चोटे पायी गयी थी –

चोट नं0–1 फटा हुआ घाव 3.5 सेमी X 0.5 सेमी बाये सिर पर बाये कान से 6.5 सेमी ऊपर था। घाव में से खून बह रहा था।

चोट नं0–2 नीलगू रंग लाल 5 सेमी X 3 सेमी सीधे हाथ पर कलाई के ऊपर था।

चोट नं0–3 नीलगू 5 सेमी X 2 सेमी बायी कलाई से 5 सेमी ऊपर व पीछे की तरफ था।

यह तीनों चोटें किसी कुन्दाले हथियार से आयी हुई थी, जैसे लाठी डन्डे, सभी चोटें ताजी व साधारण थी। गवाह ने यह सभी चोटें दिनाँक 01.12.2009 को शाम के करीब 7 बजे आना संभव होना तथा डाक्टरी मायना अपने लेख के हस्ताक्षर में होना होना कहते हुए, डॉक्टरी मुआयने को **<u>प्रदर्श क–2</u>** के रूप में साबित किया है। उसी तारीख को उसने श्रीमति मूर्ति उम्र 60 साल पत्नी प्रकाश ग्राम भौपाड़ा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर का रात्रि 10.20 पर जिसे होम गार्ड 3374 दिनेश थाना मंसूरपुर लेकर आये थे का भी डॉक्टरी मायना किया था। उसे निम्न चोटे थीः– चोट नं.–1 नीलगू लाल रंग 11 X 6 सेमी. बायी कोहनी पर पीछे व बाहर की तरफ थे। चोट नं.–2 नीलगू लाल रंग 7 X 2 सेमी. बायी छाती पर बाहर की तरफ था ये दोनों चोटे किसी कुन्दाले हथियार जैसे लाठी डन्डे से दिनांक 01.12.09 को समय करीब 7 बजे आना संभव थी। दोनों चोटों के लिये एक्सरे की सलाह दी गयी थी। गवाह ने डॉक्टरी मुआयने को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए उक्त डॉक्टरी मुआयने को **<u>प्रदर्श क–3</u>** के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षा दिनांकित 02.12.2025 में यह कथन किया है कि दिनांक 08.02.2013 को इस मामले से संबंधित पहले भी बयान दिया

था। दिनांक 01.12.2009 को वह ई.एम.ओ. के पद पर जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में तैनात था। उसने उस दिन रात 10.30 बजे पंकज उम्र 22 साल पुत्र हरपाल सिंह पता ग्राम बोपाड़ा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर, जिसे होमगार्ड 3374 दिनेश थाना मंसूरपुर लेकर आया था, की चोटों का मुआयना किया गया था, उसके निम्न चोटें पायी गयी थीं—

चोट नं0—1 फटा हुआ घाव 3.5 सेमी0 X 0.5 सेमी0, बायें सिर पर बायें कान से 6.5 सेमी0 ऊपर था, घाव में से खून बह रहा था।

चोट नं0—2 नीलगू रंग लाल 5 सेमी0 X 3 सेमी0, सीधे हाथ पर कलाई के ऊपर था।

चोट नं0—3 नीलगू 5 सेमी0 X 2 सेमी0 बायीं कलाई से 5 सेमी0 ऊपर व पीछे की तरफ था।

यह तीनों चोटें किसी कुन्द हथियार से आई थी, जैसे लाठी, डण्डे। सभी चोटें दिनांक 01.12.2009 को शाम के करीब 7.00 बजे आना संभव थी। गवाह ने उक्त डॉक्टरी मुआयने को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए यह कथन किया है कि इस पर पूर्व में प्रदर्श क—2 डाला जा चुका है। उसी तारीख को उसने श्रीमति मूर्ति उम्र 60 साल पत्नी प्रकाश ग्राम बोपाड़ा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर का रात्रि 10.20 पर डॉक्टरी मुआयना किया था, जिसे होमगार्ड 3374 दिनेश थाना मंसूरपुर लेकर आए थे। चुटैल को निम्न चोटें थीं — चोट नं0—1 नीलगू लाल रंग 11 सेमी0 X 6 सेमी0, बायीं कोहनी पर पीछे व बाहर की तरफ था। चोट नं0—2 नीलगू लील रंग 7 सेमी0 X 2 सेमी0, बायीं छाती पर बाहर की तरफ था। ये दोनों चोटें किसी कुन्दाले हथियार जैसे लाठी डण्डे से दिनांक 01.12.2009 को समय करीब 7.00 बजे आना संभव था। दोनों चोटों के लिए एक्स—रे की सलाह दी गयी थी। गवाह ने उक्त डॉक्टरी मुआयने को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए यह कथन किया है कि इस पर पूर्व में प्रदर्श क—3 डाला जा चुका है।

29. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्ल्यू—3 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''चुटैल पंकज के तीनों चोटें किसी तेज धारदार हथियार की नहीं हैं, बल्कि तीनों चोटें कुन्दाले की हैं, इनमें से कोई भी चोट फायर आर्म्स की भी नहीं है। चोट नं0—2 व 3 बनायी भी जा सकती है और बनवाई भी जा सकती है। चोट नं0—1 गिरने से भी आ सकती है। चुटैल मूर्ति देवी की कोई भी चोट फायर आर्म्स

की नहीं है, कुन्दाले की है, इन दोनों चोटों की कोई एक्स–रे रिपोर्ट मेरे सामने पेश नहीं हुई, अगर होती, तो मैं सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट जरूर तैयार करता। चुटैल पंकज को तीनों चोटें किसी तेज धारदार हथियार की नहीं थी, बल्कि किसी ब्लेन्ट ऑब्जेक्ट की हैं।''

30. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–4** के रूप मं परीक्षित एस.आई. माईयादीन सिंह ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.12.2009 को वह एच.एम.के पद पर थाना मंसूरपुर पर तैनात था, उस दिन उसने प्रपवीण पुत्र प्रकाशा निवासी बोपाड़ा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–895/2009 धारा 307, 323, 504, 506 आई.पी.सी. थाना मंसूरपुर बनाम ओमवीर आदि की चिक सं0–271/2009 किता की थी। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–4 के रूप में संलग्न चिक एफ.आई.आर. को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए, चिक एफ.आई.आर. को **<u>प्रदर्श क–2</u>** के रूप में साबित किया है। जिसका खुलासा उकसे द्वारा दिनांक 01.12.2009 में जी.डी. संख्या 34 समय 8.05 पी.एम. पर किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर का0ंस0–16/11 के रूप में संलग्न जी.डी. की कार्बनकॉपी को एक ही प्रोसेस में कार्बन लगाकर तैयार किया जाना तथा इस पर अपने हस्ताक्षर होना कहते हुए उक्त जी.डी. की कार्बनकॉपी को **<u>प्रदर्श क–4</u>** के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी ने पुनः मुख्यपरीक्षा दिनांकित 21.11.2025 में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 01. 12.2009 को एच.एम. के पद पर थाना मंसूरपुर पर तैनात था, उस दिन उसने परवीन पुत्र प्रकाशा निवासी बोपाड़ा थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 895/2009 धारा 307, 323, 504, 506 आई. पी.सी. थाना मंसूरपुर बनाम ओमवीर आदि की चिक संख्या 271/2009 किता की थी। चिक पत्रावली पर संलग्न का0सं0–4 पूर्व में प्रदर्श क–2 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इसका खुलासा उसके द्वारा दिनांक 012.2009 की जी.डी. में 8.05 पी.एम. पर किया गया था। पत्रावली पर का0सं0–16/11 एक ही प्रोसेस में कार्बन लगाकर उसके लेख में तैयार की गयी जी.डी. पर पूर्व में प्रदर्श क–3 पड़ा है। पूर्व में एस.एस.पी. कार्यालय से आयी समयानुसार मूल जी.डी. नष्ट किए जाने की रिपोर्ट पूर्व में प्रदर्श क–4 है।

31. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्ल्यू–4 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''एक्जीबिट क–3 में रपट नं0–34/8.05 और इसके पर सारी

इबारत कार्बन प्रति के रूप में है। इस 08.05 के आगे पैन से पी.एम. लिखा है। यह कार्बन के रूप में नहीं है। सहवन में पी.एम. लिखना भूल गया था। इसलिए मैंने यह बाद में लिखा है। मैंने यह पी.एम. बाद में बढ़ाया है, इस जी.डी. के अंत में नहीं लिखा। मैंने इसको लिखने की आवश्यकता नहीं समझी। चिक प्रदर्श क–2 पर कॉलम वादी के हस्ताक्षर के लिए है, लेकिन प्रदर्श क–3 पर वादी के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा नहीं है।''

32. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–5** के रूप में परीक्षित डॉ0 संजय पाण्डेय ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.12.2009 को उसे एम प्रकाश हॉस्पिटल मेरठ से कॉल कर बुलाया गया था, उस दिन उसने अरविन्द पुत्र प्रकाशा निवासी हुसैनपुर बोपाड़ा जिला मुजफ्फरनगर, जिसका डॉक्टरी मुआयना डा0 डी.के. गोयल द्वारा किया गया था, का आप्रेशन किया था। चुटैल अरविन्द के पेट के आप्रेशन के दौरान करी आधा लीटर खून निकाला एवं साफ किया गया था। क्षतिग्रस्त आंतों औरलीवर को जोड़ दिया गया और मरीज को आई.सी.यू. में शिफ्ट कर दिया गया था। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षा दिनांकित 28.09.2022 में यह कथन किया है कि एम प्रकाश हॉस्पिटल मेरठ के एकाउंट मैनेजर संदीप कुमार, चुटैल अरविन्द पुत्र प्रकाशा निवासी हुसैनपुर बोपाड़ा जिला मुजफ्फरनगर के इलाज से संबंधित रिकार्ड को साथ लेकर आए हैं, जिसमें एम प्रकाश हॉस्पिटल के दिनांक 31.12.2009 से पूर्व का रिकार्ड नष्ट करने के संबंध में पत्र दिनांकित 30.08.2022 तथा एनेक्चर के रूप में सी.एम.ओ. मेरठ तथा चुटैल अरविन्द का मेडिकल तथा उसके द्वारा चुटैल का किया गया आप्रेशन संबंधित प्रपत्र की छायाप्रति तथा एडमिशन रजिस्टर संबंधित चुटैल की छायाप्रति को पत्रावली पर दाखिल किया जाता है। असल दाखिल रजिस्टर उसके सामने है, जिसकी छायाप्रति असल के अनुसार बिल्कुल सही है। असल रजिस्टर में क्रमांक 5 पर बी.एच.टी./रजिस्ट्रेशन नं0–65409 पर आई.सी.यू.6 मि0 अरविन्द पुत्र श्री प्रकाशा उम्र 25 वर्ष निवासी गांव व पोस्ट हुसैनपुर बोपाड़ा जिला मुजफ्फरनगर थाना मंसूरपुर भर्ती का का समय 9.45 पी.एम. दर्ज है। चुटैल अरविन्द को उसके भतीजे विजय तथा भाई अमरकान्त व सुनील कुमार कजिन द्वारा भर्ती कराया गया था। रजिस्टर पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं तथा रजिस्टर में उसका व डॉ0 डी.के. गोयल का नाम भी लिखा है। रजिस्टर की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की जाती है, जो असल के मुताबिक सही है। चुटैल को 11.12.2009 को डिस्चार्ज

किया गया था। गवाह ने दाखिल रजिस्टर की छायाप्रति की शिनाख्त करते हुए इसे **<u>प्रदर्श क–5</u>** के रूप में साबित किया है। एम प्रकाश हॉस्पिटल रिकार्ड के अनुसार 14.02.2020 को बंद हो चुका है। पुलिस सूचना रजिस्टर असल साथ लेकर आए हैं, जिसकी कार्बनप्रति पेज नं0–4 पर है तथा डॉ0 डी.के. गोयल के नाम द्वारा सूचना भेजी गयी थी। एम प्रकाश अस्पताल के द्वारा दिनांक 31.12.2009 से पूर्व का समस्त असल चिकित्सीय रिकार्ड नष्ट कर दिया गया है। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–8/3 के रूप में संलग्न स्वयं के द्वारा तैयार की गयी चुटैल अरविन्द की आप्रेशन रिपोर्ट की पुश्त पर मौजूद असल के मुताबिक सही कार्बन प्रति को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर इसे **<u>प्रदर्श क–6</u>** के रूप में साबित किया है।

33. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पी.डब्ल्यू–5 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''एम. प्रकाश अस्पताल एक प्राईवेट अस्पताल था। इस प्राईवेट अस्पताल में मुझे बतौर सर्जन बुलाया था। मैंने फीस ली थी और आप्रेशन किया था। मरीज अरविन्द के किस हथियार की इंजरी थी, मैं यह बात नहीं बता सकता। मैंने मरीज अरविन्द का आप्रेशन किस टाईम किया था, मैं वो टाईम नहीं बता पाऊंगा। मेरा आप्रेशन नोट मूल कॉपी नहीं है, कार्बन कॉपी है। इसकी मूल कॉपी कहां है, मैं नहीं बता पाऊंगा। (स्वंय कहा संभवतः अस्पताल रिकार्ड में होगी) यह बात सही है कि का0सं0–8/3 जिसकी पुश्त पर मेरा आप्रेशन नोट है, वह मूल रूप से पत्रावली पर मौजूद है। का0सं0–8/3 में मरीज के चार चोट हैं। चोट सिली हुई (striched wounds) है। मैंने इस मरीज से यह नहीं पूछा, न ही इसके किसी तीमारदार से पूछा कि उसका इलाज कहां चल रहा था। मरीज के पेट में से कोई गोली, कोई टिकली, कोई छर्रा, कुछ अवश्य मिलता। यह बात सही है कि मैं जो एम. प्रकाश का रजिस्टर लेकर आया हूँ, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि चुटैल को चोट कैसे आयी। पुलिस को सूचना मैंने नहीं दी थी। डॉ0 डी.के. गोयल ने दी थी।''

34. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–6** के रूप में परीक्षित डॉ0 दीपक गोयल ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 01.12.2009 को उसके द्वारा अरविनद पुत्र प्रकाशा निवासी ग्राम व पोस्ट हुसैनपुर बोपाड़ा जिला मुजफ्फरनगर का चिकित्सीय परीक्षण 9.45 पी.एम. पर किया गया था। चुटैल अरविन्द डॉ0 एम प्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती था। उसे अस्पताल वालों ने विजिट

पर बुलाया था। चुटैल को उसका भाई अमरकान्त पुत्र सत्यपीर निवासी हुसैनपुर बोपाड़ा द्वारा भर्ती किया गया था। यह मरीज आपसी झगड़े के कारण गोली लगने से उनके अस्पताल में भर्ती हुआ था। भर्ती के समय मरीज होश में था। चोट नं0–1 मरीज के सिर पर 13 सेमी0 लम्बा टांके लगा हुआ घाव था। चोट नं0–2 एक अण्डाकार 3 सेमी0 X 1 सेमी0 फटे हुए किनारे उसके चारों तरफ कालिमा मौजूद थी, कमर में सीधे हाथ की तरफ 12 सेमी0 नीचे तथा 6 सेमी0 सीधे हाथ की तरफ। चोट नं0–3 अण्डाकार 3 सेमी0 X 1 सेमी0 का घाव, उसके चारों तरफ कालिमा, कूल्हे की हड्डी से 15 सेमी0 ऊपर और 25 सेमी0 सीधे हाथ की तरफ। चोट नं0–4 एक घाव जिसके पेट के सीधे हाथ की तरफ जिसमें से आंतें बाहर आ रही थी। डॉक्टरी मुआयने पर मरीज का अंगठा लगा है तथा मरीज को भर्ती करने वाले भाई अमरकान्त के हस्ताक्षर भी हैं। गवाह ने का0सं0–8/3 को देखकर इस मेडिकल रिपोर्ट को अपने द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जाना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर इसे **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया है। यह चोटें गोली से आना संभव है तथा चुटैल की स्थिति गंभीर अवस्था में थी। यह सही है कि चुटैल की जान भी जा सकती थी।

35. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–6 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''मरीज की स्थिति गंभीर या चिंताजनक थी, बल्कि सामान्य थी। चोट नं0–1 सिला हुआ घाव था। प्रदर्श क–7 में कहीं यह बात नहीं लिखी है कि चोट नं0–1 में सिटिच कहां लगे थे, यह बात फाईल में लिखी होगी। ऐसी कोई फाईल जिसमें यह लिखा हो कि मरीज की चोट में सिटिच कहां और किसने लगाए, मेरे सामने नहीं है। चोट नं0–1 किस हथियार से आयी थी, मैं नहीं बता सकता। मैं चोट नं0–1 का समय या अवधि नहीं बता सकता कि वह कितनी पुरानी थी। चोट नं0–4 गोली बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। चोट नं0–4 कौन सी चोट को कोरसपोन्ड कर रखी थी, यानि किस चोट से जुड़ी थी, यह मैंने अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं लिखा है। चोट नं0–2 यदि फायर आर्म्स की होती, तो उस चोट में से कोई फोरन बॉडी मिलनी चाहिए थी। यदि किसी फायर आमर्स की चोट का एक्जिट वोन्ड ना हो, तो टिकली, छर्रा या बुलेट शरीर में से मिलना चाहिए। मैंने इसका आप्रेशन नहीं किया था। इसका आप्रेशन डॉ0 संजय पाण्डेय ने किया था, उन्हें शरीर से कोई टिकली, छर्रा मिला या नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैंने इस मरीज की कोई सप्लीमेन्टरी रिपोर्ट नहीं बनायी। मरीज की इन

चोटों से जान जा सकती थी। मैंने प्रदर्श क–7 में कहीं भी चोटों का ड्यूरेशन नहीं लिखा। मैं नहीं बता सकता कि मरीज को यह चोटें कितनी पुरानी व किस समय आयी होंगी।''

36. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–7** के रूप में परीक्षित भारतवीर 'सेवानिवृत्त निरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 16.01.2010 को वह थानाध्यक्ष थाना सिखेड़ा के पद पर कार्यरत् था। मु0अ0सं0–895/2009 अंतर्गत धारा–307, 323, 504, 506 आई.पी.सी. थाना मंसूरपुर बनाम ओमवीर आदि के मुकदमे की विवेचना एस.एस.पी. के आदेशानुसार उसके सुपुर्द हुई थी। उसी दिन उसके द्वारा किता किए गए पर्चा नं0–11ए में एस.एस.पी. मुजफ्फरनगर के विवेचना के आदेश दिनांक 14.01.2010 की नकल किता की गयी थी। दिनांक 22.01.2010 को किता किए गए पर्चा नं0–12 में पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी सी.डी. प्राप्त करके उनके द्वारा किता किए गए पर्चा नं0–1 ता 11 का अवलोकन करके सी.डी. में इन्द्राज किया। दिनांक 10.2.2010 को किता किए गए पर्चा नं0–13 में गवाहान पंकज, विपिन, अनिल के बारे में मालूमात किया, जिनका बाहर जाना बताया गया। अभियुक्त ओमकार की तलाश हेतु मुखबिर मामू के दिनांक 22.02.2010 को किता किए गए पर्चा नं0–14 में थाने पर मौजूद गवाहान पंकज कुमार पुत्र हरपाल सिंह, अनिल पुत्र सुखवीर, विपिन पुत्र सुखवीर के बयान अंकित किए गए। दिनांक 22.02.2010 को ही मुलजिमान ओमवीर, आदेश व राजकुमार के विरूद्ध तमामी विवेचना उपरांत गवाहों के बयानों, निरीक्षण घटनास्थल, नक्शानजरी, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र संख्या 17/100 मु0अ0सं0–895/2009 अंतर्गत धारा 323, 307, 504, 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। गवाह ने पत्रावली में शामिल आरोप–पत्र का0सं0–3क को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर आरोप–पत्र को **<u>प्रदर्श क–8</u>** के रूप में साबित किया है।

37. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–7 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''इस अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट में 04 मुलजिम नामित थे। मैंने इस मामले में ओमवीर, आदेश व राजकुमार के विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया, ओमकार के खिलाफ आरोप–पत्र नहीं दिया था। गवाह पंकज, अनिल व विपिन मेरे पास थाने आए थे और मैंने वहां उनके बयान लिए थे। मैंने इस घटना स्थल का निरीक्ष नहीं किया था। मैंने पूर्व विवेचक द्वारा किए गए निरीक्षण घटना

स्थल की पुष्टि करने की जरूरत महसूस नहीं की। दौरान तफ्तीश कभी वादी मुकदमा से नहीं मिला। मैंने वादी मुकदमा से मिलने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं इस मुकदमे के संबंध में पूर्व विवेचक से कभी नहीं मिला। बिना पूर्व विवेचक से मिले मैंने उनके द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर ली थी।''

38. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–8** के रूप में परीक्षित देवीराम 'सेवानिवृत्त निरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 01.12.2009 को थाना मंसूरपुर पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था, उस दिन वादी प्रपवीण पुत्र प्रकाशा की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0–895/2009 धारा 307, 323, 504, 506 आई.पी.सी. के अंतर्गत पंजीकृत हुए मुकदमे की विवेचना उसके सुपुर्द हुई थी। दिनांक 01.12.2009 को ही थाना कार्यालय से चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. कायमी प्राप्त कर अवलोकन करके नकल चिक व जी.डी. कायमी की नकल किता की तथा एफ.आई.आर. लेखक एच.एम. माईयादीन के बयान अंकित किए गए तथा अभियुक्तगण के घर पर दबिश दी गयी। उसके बाद चुटैल अरविन्द को देखने मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर गया, तो पता चला कि उसे मेरठ रैफर कर दिया गया है तथा थाने वापस आकर कार्यालय से चुटैल मूर्ति देवी व पंकज की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन कर नकल सी.डी. किता की गयी थी। दिनांक 02.12.2009 को किता किए गए सी.डी. पर्चा नं0–2 में अभियुक्त राजकुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गवाह ने मौके पर तैयार किए गए गिरफ्तारी प्रपत्र को पत्रावली पर का0सं0–12/1 के रूप में अपने लेख व हस्ताक्षर में संलग्न होना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर गिरफ्तारी प्रपत्र को **<u>प्रदर्श क–9</u>** के रूप में साबित किया है। दिनांक 03.12.2009 को किता किए गए पर्चा नं0–3 में वादी प्रवीण पुत्र प्रकाशा, श्रीमति मूर्ति देवी पत्नी प्रकाशा के बयान अंकित किए गए तथा वादी प्रवीण की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा उसके द्वारा मौके पर ही नक्शानजरी तैयार किया गया। गवाह ने पत्रावली में का0सं0–13 के रूप में शामिल नक्शानजरी को देखकर इसे अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर उक्त नक्शानजरी को **<u>प्रदर्श क–10</u>** के रूप में साबित किया है। समाई साक्ष्य के रूप में घटनास्थल के आसपास के लोगों विजय उर्फ टिंकू पुत्र सुखबीर, संदीप पुत्र नत्थन, श्रीमति ओमवती पत्नी कमल सिंह, किरनपाल पुत्र अतर सिंह, अरविन्द पुत्र तेजपाल जाट निवासी हुसैनपुर बोपाड़ा के बयान अंकित किए गए। इसके बाद चुटैल अरविन्द

की मेडिकल रिपोर्ट हेतु मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर आया, जहां पर डॉ0 नागर ने बताया कि यहां पर डॉक्टरी नहीं हुई, उसकी गंभीर हालत होने के कारण मेरठ रैफर कर दिया गया। दिनांक 07.12.2009 को किता किए गए पर्चा नं0–4 में वह थाना हाजा से रवाना होकर एम प्रकाश हॉस्पिटल मेरठ में भर्ती चुटैल अरविन्द के पास मेरठ आया, जहां पर मजरूब अरविन्द पुत्र प्रकाशा के बयान अंकित किए गए। अरविन्द की डाक्टरी रिपोर्ट अस्पताल से प्राप्त कर उसकी नकल सी.डी. में किता की गयी तथा मेडिकल की पुश्त पर डॉ0 एस. पाण्डेय की रिपोर्ट की नकल सी.डी. में अंकित की गयी। दिनांक 09.12.2009 को अभियुक्तगण के ठिकानों पर दबिश दिए जाने पर कोई दस्तयाब नहीं हो सका। दिनांक 11.12.2009 को किता किए गए पर्चा नं0–6 में अभियुक्तगण ओमवीर व आदेश को मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। गवाह ने स्वयं द्वारा मौके पर तैयार किए गए पत्रावली पर का0सं0–10 के रूप में संलग्न गिरफ्तारी प्रपत्र का0सं0–10/1 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर उक्त प्रपत्र को **प्रदर्श क–11** के रूप में साबित किया है। अभियुक्त आदेश व ओमवीर की ली गयी तलाशी में पहने कपड़ों के अलावा 40 रूपए नकद मिले तथा आदेश ने बताया कि जिस तमंचे से उसने अरविन्द पर फायर किया था, वह उसने भागते हुए काली नदी के किनारे एक पन्नी में रखकर व एक जिंदा व 1 खोखा कारतूस नाल में फंसा था, को झाड़ियों में छिपाकर रखा है, जिसको वह चलकर बरामद कर सकता है, जिससे उसने अरविन्द पर फायर किया था। मय एस.आई. हमराही कर्मचारीगण एच.सी. जितेन्द्र सिंह, कां0 सोमपाल, कां0 प्रमोद कुमार मय सरकारी असलाह के सरकारी जीप से हिरासत अभियुक्तगण को लेकर काली नदी पर आए, जनता के गवाहान फराहम (तलाश) करने की कोशिश की थी, किन्तु भलाई–बुराई के कारण जनता का कोई गवाह तैयार नहीं हुआ। आपस में जामातलाशी कर यकीन किया कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है तथा जीप को काली नदी के पुल के पास खड़ी कर अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष को कां0 सोमपाल हिरासत में लेकर आगे–आगे चलकर काली नदी के किनारे पश्चिमी–दक्षिणी तरफ पुल से करीब 25 कदम की दूरी पर अभियुक्त आदेश ने अपने हाथों से झाड़ियों में से एक पालीथीन में लिपटा एक तमंचा 315 बोर निकालकर दिया, जिसको करीब 15.10 बजे पुलिस कब्जे में लिया गया, जिसका हुलिया फर्द में अंकित है तथा एक जिंदा कारतूस तथा नाले में एक

खोखा कारतूस 315 बोर चला हुआ बरामद हुआ। अभियुक्त आदेश ने बताया था कि इसी तमंचे से ही उसने अरविन्द पर घर किया था। बरामदा तमंचा, कारतूस व खोखा कारतूस को उसी पालीथीन में रखकर, एक कपड़े में रखकर, सिलकर सर्वे मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। मौके पर ही फर्द बरामदगी उसके द्वारा तैयार की गयी, जो हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर कराए गए तथा फर्द की नकल अभियुक्तों को देकर उनके हस्ताक्षर कराए गए। दिनांक 11.12.2009 को मय एस.आई. देवीराम मय हमराही कर्मचारीगण मय असलाह सरकारी व सरकारी जीप से मय बहवाले रपट नं0–19 समय 12.20 बजे तलाश वांछित अभियुक्तगण संबंधित मु0अ0सं0–895/2009 अंतर्गत धरा 307, 323, 504, 506 आई.पी.सी. में थाने से रवाना होकर तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना पर मुखबिर को साथ लेकर मेडिकल कॉलेज के सामने चाय के खोखा के पास मुखबिर के इशारे पर जीप खड़ी करके अभियुक्तगण को समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मय एस.आई. व हमराही कर्मचारीगण अभियुक्तगण को लेकर थाना आए और थाने में उसके द्वारा अभियुक्त आदेश के विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मु0अ0सं0–901/2009 में पंजीकृत कराया तथा थाने पर बरामद माल व अभियक्त को हैड मोहर्रिर के द्वारा दाखिल किया गया। गवाह ने एस.टी. नं0–6433/2010 सरकार बनाम आदेश की पत्रावली पर संलग्न का0सं0–5 को देखकर इस फर्द को अपने द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में मौके पर तैयार किया जाना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर फर्द बरामदगी को **<u>प्रदर्श क–12</u>** के रूप में साबित किया है। फर्द बरामदगी की नकल सी.डी. में किता की तथा अभियुक्तगण ओमवीर व आदेश के बयान अंकित किए गए। दिनांक 12.2.2009 को किता किए गए सी.डी. पर्चा नं0–7 में चुटैल अरविन्द के द्वारा घटना के समय पहने कपड़े कब्जे पुलिस में लेकर फर्द तैयार की गयी तथा कपड़ों को सील सर्वे मोहर कर कब्जे में लिया गया था। बरामद कपड़ों को एम प्रकाश अस्पताल मेरठ से लिया गया, जो डॉ0 संजय पाण्डेय द्वारा सील व सर्वे मोहर किए गए। दिनांक 17.12.2009 को पर्चा नं0–8 किता किया गया। दिनांक 17.12.2009, 31.12.2009 एवं 05.01.2010 को अभियुक्तगण ओमकार की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी। मुखबिर से मालूम किया गया, नहीं मिला। दिनांक 16.01.2010 को किता किए गए पर्चा नं0–11 में उक्त केस की विवेचना डी.आई.जी. सहारनपुर के आदेश दिनांक 11.10.2010

व एस.एस.पी. के आदेश दिनांक 14.01.2010 के अनुसार थाना सिखेड़ा को स्थानांतरित किए जाने का इन्द्राज उसके द्वारा संलग्न सी.डी. में किया गया। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षा दिनांकित 26.09.2023 में सशपथ कथन किया है कि न्यायलाय के समक्ष एक सीलबंद पुलिंदा प्रस्तुत किया गया, जिसके ऊपर 'मु0अ0सं0–901/09 अंतर्गत धारा 25 ए. एक्ट बनाम आदेश उर्फ आदिष पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा दिनांक 11.12.2009' अंकित है, उसके द्वारा मौके पर सील मोहर किया गया था। कपड़े पुलिंदे को न्यायालय की अनुमति से खोला गया, जिसके अंदर एक तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में एक खोखा 315 बोर फंसा है तथा एक जिंदा कारतूस 315 बोर निकला। गवाह ने तमंचे को वस्तु प्रदर्श–1, खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–2, जिंदा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–3 तथा कपड़े को वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में साबित किया है।

39. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–8 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''अभियुक्त आदेश ने अपने हाथों में से झाड़ियों में से एक पॉलीथीन में लिपटा एक तमंचा 315 बोर निकालकर दिया। नाल में एक खोखा कारतूस 315 बोर चला हुआ बरामद हुआ। अभियुक्त आदेश ने बताया कि इसी तमंचे से मैंने अरविन्द पर फायर किया था। वस्तु प्रदर्श–4 पुलिंदे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर दिखायी नहीं दे रहे हैं, जबकि बाकी इबारत स्पष्ट रूप से पढ़ने में आ रही है। पुलिंदे पर एक जगह seen उसके नीचे RM उसके नीचे 12–12 तारीख स्पष्ट रूप से दिखायी दे रही है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं दिख रहे हैं। इस कपड़ा पुलिंदे पर जिलाधिकारी के ना तो कोई हस्ताक्षर, ना मोहर है। मैंने मुलजिम आदेश का पी.सी.आर. नहीं लिया था, बल्कि मैंने इन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम को थाने नहीं लाया था, बल्कि पहले बरामदगी करायी थी। मैंने मुलजिम आदेश को बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के गेट के पास से पकड़ा था। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज के आसपास का इलाका काफी भीड़ वाला है। बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी स्टॉफ यानि सिक्योरिटी सर्विस वाले रहते हैं। मैंने इन सिक्योरिटी वालों में से किसी को गवाही के लिए नहीं बुलाया था। जहां से मैंने बरामदगी की थी, की दूरी 5–6 किमी0 के लगभग होगी, इस बीच में बोपाड़ा गांव पड़ता है। 307 का वादी मुकदमा भी बोपाड़ा गांव का ही था।''

40. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–9** के रूप में परीक्षित संजय पाल 'उपनिरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 11.12.2009 को बतौर कां0/क्लर्क के पद पर थाना मंसूरपुर पर तैनात था, उस दिन समय 15 बजकर 45 मिनट पर उपनिरीक्षक श्री देवीराम ने मय हमराही मय फर्द बरामदगी उपस्थित थाना आकर दाखिल की थी, जिसके आधार पर चिट नं0–276/09 पर मुकदमा अपराध संख्या 901/09 धारा 25 शस्त्र अधिनियम बनाम आदेश उर्फ आदित्य पुत्र ओमबीर सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर बोपाड़ा थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पंजीकृत किए गए मुकदमे का खुलासा उसके द्वारा रपट संख्या 22 समय 15 बजकर 45 मिनट दिनांक 11.2.2009 को जी.डी. में किया गया था। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–4 के रूप में मौजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में होने की शिनाख्त करना तथा इस मुकदमे का खुलासा जी.डी. सं0–7 असल की कार्बन प्रति की शिनाख्त करना कहते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट को **प्रदर्श क–13** तथा जी.डी. की कार्बनप्रति को **प्रदर्श क–14** के रूप में साबित किया है। यह प्रपत्र एस.टी. संख्या–633/2010 सरकार बनाम आदेश धारा 25 आयुध अधिनियम थाना मंसूरपुर की पत्रावली पर संलग्न है।

41. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–9 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''मेरे सामने आज इस मुकदमे की असल जी0उी0 नहीं है। मेरे सामने आज कोई मूल जी0डी0 नष्ट होने की रिपोर्ट भी नहीं है। मुझे फर्द बरामदगी जिस पर मैंने मुकदमा कायम किया, उपनिरीक्षक देवीराम ने लाकर दी थी। मैं उस दिन जिस दिन मैंने मुकदमा कायम किया, मैं कां0/क्लर्क के पद पर तैनात था। वादी मुकदमा मेरे अधिकारी थे।''

42. अभियोजन की ओर से **पी.डब्ल्यू–10** के रूप में परीक्षित रामपाल सिंह 'सेवानिवत्त उपनिरीक्षक' ने मुख्यपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 11.12.2009 को वह थाना मंसूरपुर पर बतौर एस.आई. तैनात था। उसके द्वारा मु0अ0सं0–901/2009 सरकार बनाम आदेश उर्फ आदीष धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मंसूरपुर मुजफ्फरनगर पंजीकृत किए गए अभियोग की विवेचना उसके सुपुर्द की गयी थी। इस विवेचना में प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद विवेचना प्रारंभ की गयी। दिनांक 12.12.2009 को उसके द्वारा किता किए गए सी.डी. पर्चा नं0–1 में गिरफ्तारी, बयान लेखक, बयान अभियुक्त आदेश अंकित किए गए। दिनांक

13.12.2009 को बयान वादी, बयान गवाह फर्द बरामदगी अंकित किए गए एवं बयान एच.सी. जितेन्द्र कुमार, बयान सोमपाल सिंह, बयान प्रमोद कुमार व निरीक्षण घटनास्थल अंकित किए गए। इसी विवेचना के दौरान उसके द्वारा आरोप–पत्र संख्या–241/2009 दिनांक 13.12.2009 अभियुक्त आदेश के खिलाफ आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। गवाह ने पत्रालवी पर का0सं0–8 के रूप में संलग्न नक्शानजरी को अपने हस्तलेख में अपने द्वारा तैयार किया जाना कहते हुए, इसकी शिनाख्त कर नक्शानजरी को **प्रदर्श क–15** के रू॰ में साबित किया है। इस मुकदमे को चलाने हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति उसके द्वारा ली गयी थी। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–9 के रूप में संलग्न अनुमति–पत्र को **प्रदर्श क–16** के रूप में साबित किया है। गवाह ने पत्रावली पर का0सं0–3 के रूप में मौजूद अभियुक्त आदेश के आरोप–पत्र को **प्रदर्श क–17** के रूप में साबित किया है। इस पत्रावली की विवेचना उसके द्वारा की गयी थी। वह इन प्रपत्रों की शिनाख्त करता है।

43. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में पी.डब्ल्यू–10 ने मुख्यतः यह कथन किया है कि, ''यह बात सही है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी स्थल और बरामदगी स्थल के बीच में घटना वाला गांव जिसमें 307 आई.पी.सी. वाला मुकदमा कायम था, बीच में पड़ता था। मैंने आरोप–पत्र प्रेषित करने के बाद सी. ओ. के यहां दाखिल कर दिया था।''

अभियोजन साक्षीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य की समीक्ष की समीक्षा

44. अभियोजन के द्वारा साक्षीगण पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2, पी. डब्ल्यू–11 एवं पी.डब्ल्यू–12 को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है। सर्वप्रथम यदि हम पी.डब्ल्यू–1 द्वारा दी गयी साक्षी की साक्ष्य की समीक्षा करें तो परिलक्षित होता है कि उक्त साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में इस आशय की साक्ष्य दी है कि घटना वाले दिन अभियुक्तगण के द्वारा देशी कटटे, तबल व लाठी से लैस होकर चुटैलों पर प्रहार किया गया, जिससे उन्हें चोटें आयीं। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि ''मैंने यह घटना स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखी।'' उक्त साक्षी के द्वारा संबंधित थाने पर घटना की तहरीर देकर मुकदमे को पंजीकृत कराया गया है। साक्षी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के परिशीलन से भी विदित होता है कि साक्षी के द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार अभियुक्तगण ने उसकी माता व भाई आदि के साथ

मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। तहरीर में भी साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे यह परिलक्षित होवे कि वह घटना के समय चुटैलों के साथ मौके पर मौजूद था। इसके अतिरिक्त यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी को घटना के फलस्वरूप किसी प्रकार की चोटें नहीं आयी हैं तथा साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जिससे यह परिलक्षित होवे कि अभियुक्तगण ने उक्त साक्षी के साथ भी मारपीट की। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि ''मैंने पहले बयान में घटना सारी बता दी थी। मेरे भाई के गोली लगी थी। मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था। मैं अपने ताऊ के घेर में था।''

45. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि पिता के सामने पुत्र के साथ मारपीट की जा रही है, तो अत्यंत अस्वाभाविक है कि पिता हस्तक्षेप करने का प्रयास न करे।

46. इस प्रकार उक्त साक्षी के द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि जब चुटैलों के साथ घटना घटी थी, उस समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तथा उसने घटना होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखी थी। घटना के फलस्वरूप उक्त साक्षी को किसी प्रकार की कोई चोटें न आना तथा साक्षी द्वारा स्वयं के साथ मारपीट होने के संबंध में कोई कथन न किया जाना से भी यह स्थापित होता है कि उक्त साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तथा उसके द्वारा कोई घटना नहीं देखी गयी। अतः साक्षी पी.डब्ल्यू–1 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी स्थापित नहीं हो रहा है तथा उक्त साक्षी के द्वारा दी गयी साक्ष्य से केवल यह तथ्य स्थापित हो रहा है कि मामले के संबंध में तहरीर वादी पक्ष द्वारा थाने पर दी गयी, जिसके आधार पर प्रस्तुत मुकदमा पंजीकृत हुआ।

47. अभियोजन के अनुसार घटना के फलस्वरूप तीन व्यक्तियों को चोटें आयी थी, जिनमें से साक्षी पी.डब्ल्यू–2 अरविन्द को आग्नेयास्त्र की चोट आना बताया गया है तथा साक्षी पी.डब्ल्यू–11 पंकज व पी.डब्ल्यू–12 मूर्ति देवी को ठोस व कुन्द हथियार से चोटें आना बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह हम साक्षी पी. डब्ल्यू–11 व 12 द्वारा दी गयी साक्ष्य का परिशीलन करें, तो परिलक्षित होता है कि उक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा उन्हें चोट लगने के संबंध में कथन किया गया है, परंतु साक्षी पी.डब्ल्यू–11 ने चोटों के संबंध में यह कथन किया है कि घटना

वाले दिन वह जीने पर फिसल गया था, जिस कारण से उसे चोटें आयी थी। उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी तथा अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं करी। अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्तगण ने लाठी डण्डों से हमला कर से चोटें पहुंचायी थी।

48. साक्षी पी.डब्ल्यू–12 मूर्ति देवी के द्वारा भी अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना वाले दिन जब वह अपने घर से रास्ते पर जा रही थी, तो पीछे से किसी ने डण्डा मारकर उसे घायल कर दिया था तथा अंधेरा होने के कारण वह देख नहीं पायी थी। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। अभियोजन द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्तगण ने मारपीट कर उसे चोटें पहुंचाई।

49. इस प्रकार चुटैल साक्षीगण पी.डब्ल्यू–11 व पी.डब्ल्यू–12 द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह तथ्य तो स्थापित हो रहा है कि घटना वाले दिन दोनों चुटैलों को चोटें आयी, परंतु उनके द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे स्थापित नहीं होता है कि उक्त चोटें उन्हें अभियुक्तगण द्वारा मारपीट कर पहुंचाई गयी हैं।

50. तीसरे चुटैल अरविन्द को साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण आदेश व ओमवीर ने तमंचे से फायर कर उक्त साक्षी को चोटें पहुंचाई हैं। इस संबंध में साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि ''....... वहां पर ओमवीर आदेश देशी कटटे लिए हुए और ओमकार हाथ में लाठी लिए तथा राजकुमार हाथ में तबल लिए हुए आए। आदेश व ओमकार ने सीने पर रखकर तमंचे कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत बनावट आ गयी है, इस बात को मैं नागोर करके आगे चल दिया, तभी पीछे से आदेश ने मेरे ऊपर गोली चलायी, उसके बाद ओमवीर ने मेरे ऊपर गोली चलायी। .....'' इस प्रकार साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के द्वारा अभियुक्तगण आदेश व ओमवीर द्वारा पृथक–पृथक रूप से दो बार उसके ऊपर गोली चलाने का कथन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम चुटैल की आघात आख्या प्रदर्श क–7 को देखें, तो अन्य चोटों के अलावा चुटैल के शरीर पर दो गोलाकार कटे हुए घाव होना पाए गए हैं तथा चुटैल का आप्रेशन कर रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सक को साक्षी पी.डब्ल्यू–5 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त

साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि ''मरीज अरविन्द के किन हथियार की इंजरी थी, मैं नहीं बता सकता।'' साक्षी ने आगे कथन किया है कि ''मरीज के पेट में से कोई गोली, कोई टिकली, कोई छर्रा कोई बारूद आदि नहीं मिला था। यह बात सही है कि यदि मरीज अरविन्द के कहीं चोट फायर आर्म्स की होती, तो इसके अंदर से कोई बुलेट, पैलेट, टिकली, छर्रा कुछ अवश्य मिलता। यह बात सही है कि कि मैं जो एम प्रकाश हास्पिटल का रजिस्टर लेकर आया हूँ, इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि चुटैल को चोट कैसे आयी।''

51. चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट तैयार करने वाले चिकित्सक को साक्षी पी.डब्ल्यू–6 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार चुटैल के चिकित्सीय परीक्षण में उसके शरीर पर एक टांके लगे घाव के अतिरिक्त तीन ताजा घाव पाए गए हैं, जिनमें से दो घाव अण्डाकार आकार के तथा एक घाव जिसमें से आंते बाहर आ रही थी, पाए गए हैं। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी ने यह कथन किया कि ''चोट नं0–4 गोली बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है तथा चोट नं0–4 कौन सी चोट से जुड़ रही थी, यह मैंने अपनी डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं लिखा है। चोट नं0–2 यदि फायर आर्म्स की होती तो उस चोट में से कोई फोरन बाडी मिलनी चाहिए थी। किसी फायर आर्म्स की चोट में एक्जिट वुण्ड (निकासी घाव) न हो, तो टिकली, छर्रा या बुलेट शरीर में से मिलना चाहिए।'' आगे साक्षी ने कथन किया है कि ''मैं नहीं बता सकता कि मरीज को यह चोटें कितनी पुरानी व किस समय आयी होंगी।''

52. इस प्रकार यदि हम चुटैल साक्षी पी.डब्ल्यू–2 द्वारा घटना के संबंध में किए गए कथनों को साक्षीगण पी.डब्ल्यू–5 व पी.डब्ल्यू–6 (विशेषज्ञ साक्षी) द्वारा चोटों के संबंध में दी गयी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो परिलक्षित होता है कि साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के अनुसार दोनों अभियुक्तगण ने उस पर अलग–अलग तमंचों से दो बार फायर किए। साक्षी पी.डब्ल्यू–6 के अनुसार चुटैल के शरीर पर तीन चोटें पायी गयीं। यदि दो चोटों में से एक को आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव व दूसरे को निकासी घाव मान भी लिया जाए, तब इसका तात्पर्य यह है कि चुटैल को जो दूसरा फायर मारा गया, उसका कोई निकासी घाव मौजूद नहीं है। निकासी घाव मौजूद न होने के कारण उक्त फायर मारने के फलस्वरूप चुटैल के शरीर में आग्नेयास्त्र के जो अवशेष होते हैं, वे पाए जाने चाहिए थे। साक्षीगण पी.डब्ल्यू–5

व पी.डब्ल्यू–6 द्वारा दी गयी साक्ष्य से स्पष्ट है कि चुटैल के शरीर में किसी प्रकार की गोली, टिकली, छर्रा आदि नहीं पाया गया है। दोनों साक्षीगण पी. डब्ल्यू–5 व पी.डब्ल्यू–6 के द्वारा यह कथन किया गया है कि वह इस सबंध में कोई राय नहीं दे सकते कि चुटैल को प्रश्नगत चोटें किसी आग्नेयास्त्र से ही आयी हैं अथवा नहीं। साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अभियुक्तगण राजकुमार व ओमकार अपनी लाठी व तबल लेकर पंकज व मेरे व मेरी मम्मी पर कई वार किए, इसका तात्पर्य यह है कि साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के अनुसार घटना के दौरान अभियुक्तगण ने साक्षी पर लाठी व तबल से भी वार किया है, परंतु साक्षी की आघात आख्या में ऐसी कोई चोट नहीं पायी गयी है, जो कि लाठी अथवा तबल से आना दर्शाया गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू–6 के अनुसार साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के सिर पर एक टांके लगा हुआ घाव पाया गया है। घटना से पूर्व साक्षी पी.डब्ल्यू–2 ने कहीं प्रारंभिक चिकित्सा ली हो, ऐसा कोई कथन अभियोजन का नहीं है, इससे यह परिलक्षित होता है कि चुटैल के सिर पर पायी गयी चोट नं0–2 जो कि टांका लगा हुआ घाव है, वह इस घटना से पूर्व का है। इस प्रकार चुटैल द्वारा चोट पहुंचाए जाने के संबंध में जो कथन किए जा रहे हैं, उनकी पुष्टि उसकी आघात आख्या तथा विशेषज्ञ साक्षीगण पी.डब्ल्यू–5 व पी. डब्ल्यू–6 के बयानों से नहीं हो रही है।

53. साक्षीगण पी.डब्ल्यू–1 व 2 के अनुसार प्रश्नगत घटना अभियुक्त ओमवीर के घर के सामने हुई है। मामले के मुख्य विवेचक को पी.डब्ल्यू–8 के रूप में परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी.डब्ल्यू–8 के अनुसार उसने वादी प्रवीण की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर ही नक्शानजरी तैयार किया था। नक्शानजरी को प्रदर्श क–2 के रूप में उक्त साक्षी ने साबित भी किया है। नक्शानजरी प्रदर्श क–2 के अनुसार प्रश्नगत घटना अभियुक्त ओमवीर आदि के मकान के बाहर गली में होना दर्शाया गया है। विवेचक के द्वारा घटनास्थल से कोई खून आलूदा मिटटी अथवा सादा मिटटी के नमूने एकत्रित किए गए हों अथवा जिस स्थान पर घटना घटित होना बतायी गयी है, उस स्थान पर खून पड़ा हुआ पाया गया हो, ऐसा कोई कथन साक्षी द्वारा नहीं किया गया है। विवेचक के द्वारा केस डायरी में मौका मुआयना करते समय घटनास्थल के संबंध में यह अंकित किया है कि ''घटनास्थल पर जमीन पर खून आदि धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए घटनास्थल से किसी प्रकार खून आदि नहीं मिला है। यदि जैसा

कि अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है कि घटना के समय चुटैल अरविन्द पर दो गोलियां चलायी गयी तथा लाठी व तबल से वार कर भी घायल किया गया, तब ऐसी परिस्थिति में मौके पर भारी मात्रा में खून पड़ा हुआ होना पाया जाना चाहिए था। परंतु बताए हुए घटनास्थल पर रक्त पड़ा हुआ न होना यह दर्शित करता है कि घटना वास्तव में बताए गए स्थान पर घटित नहीं हुई है। यह बिन्दु इस कारण से भी महत्पूर्ण है कि क्योंकि इसी घटना के परिप्रेक्ष्य मे अभियुक्त पक्ष द्वारा वादी पक्ष के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जिसमें उन्होंने यह आक्षेप लगाया कि चुटैल आदि के द्वारा अभियुक्तगण के घर में घुसकर मारपीट आदि की गयी तथा वादी प्रवीण द्वारा चलायी गयी गोली से चुटैल अरविन्द घायल हुआ। बचाव पक्ष द्वारा यह आक्षेप लगाए जाने के आधार पर भी अभियोजन को यह आवश्यक था कि वह घटनास्थल को संदेह से परे साबित करता। अतः घटनास्थल के संबंध में विवेचक द्वारा जो कथन किए जा रहे हैं तथा जो प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर भी साक्षी पी. डब्ल्यू–2 द्वारा घटनास्थल के संबंध में किए गए कथनों की पुष्टि नहीं हो रही है।

54. चूंकि साक्षी पी.डब्ल्यू–2 द्वारा किए गए कथनों की पुष्टि उसकी आघात आख्या व विवेचक द्वारा घटनास्थल के संबंध में किए गए कथनों से नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था में साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के कथनों पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक कि साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के कथनों की पुष्टि अन्य स्वतंत्र मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से न हो जाए।

55. इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत शेष तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य को देखें, तो साक्षी पी.डब्ल्यू–1 की उपस्थिति घटना के समय घटनास्थल पर स्थापित नहीं है। चुटैल साक्षीगण पी.डब्ल्यू–11 व पी.डब्ल्यू–12 के द्वारा ऐसी कोई घटना उनके साथ होने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है। अभियोजन ने अन्य कोई तथ्य का ऐसा साक्षी परीक्षित नहीं कराया है, जिसने घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखा हो अथवा इस आशय की साक्ष्य दी हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही प्रश्नगत घटना को अंजाम दिया गया है।

निष्कर्ष

56. इस प्रकार यदि हम अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की समीक्षा करें, तो परिलक्षित होता है कि अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में तथ्य के 04 साक्षीगण को परीक्षित कराया है, जिनमें से साक्षी पी.डब्ल्यू–1 घटना का

वादी है तथा साक्षी पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–11 व पी.डब्ल्यू–12 चुटैल साक्षी बताए गए हैं। साक्षी पी.डब्ल्यू–1 घटना का चक्षुदर्शी साक्षी स्थापित नहीं हो रहा है तथा उसके स्वयं के कथनानुसार उसने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी है। साक्षीगण पी.डब्ल्यू–11 व पी.डब्ल्यू–12 के द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा ऐसी कोई घटना उनके साथ कारित नहीं की गयी है। साक्षी पी.डब्ल्यू–2 के द्वारा घटना के संबंध में जो कथन किए गए हैं व जिस प्रकार व जिस स्थान पर उसे चोटें पहुंचाए जाने का कथन किया गया है, उसकी पुष्टि चुटैल की आघात आख्या व विशेषज्ञ साक्षीगण पी.डब्ल्यू–5 व पी.डब्ल्यू–6 तथा विवेचक साक्षी पी.डब्ल्यू–8 के कथनों से नहीं हो रही है।

57. साक्षीगण पी.डब्ल्यू–3, पी.डब्ल्यू–5 व पी.डब्ल्यू–6 (चिकित्सकगण) के द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह तथ्य तो स्थापित हो रहा है कि घटना वाले दिन चुटैलों के शरीर पर ताजा चोटें पायी गयी हैं, परंतु उक्त चारों साक्षीगण के कथनों से यह स्थापित नहीं होता है कि प्रश्नगत चोटें अभियुक्तगण द्वारा ही चुटैला को पहुंचायी गयी हैं।

58. साक्षी पी.डब्ल्यू–4 (एस.आई. माईयादीन) द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह तथ स्थापित हो रहा है कि वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर प्रस्तुत मुकदमा पंजीकृत होकर उसमें अग्रिम कार्यवाही की गयी थी। साक्षी पी.डब्ल्यू–7, पी.डब्ल्यू–8 मामले के विवेचकगण हैं, उनके द्वारा दी गयी साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित हो रहा है कि उनके द्वारा मामले की विवेचना कर, नियमानुसार प्रपत्र तैयार किए गए तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। परंतु मात्र विवेचकगण की साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य संदेह से परे स्थापित नहीं माना जा सकता कि प्रश्नगत घटना अभियुक्तगण के द्वारा ही कारित की गयी है।

59. अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह बिन्दु संदेह से परे स्थापित नहीं होता है कि दिनांक 01.12.2009 को समय 7.00 बजे अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा प्रवीण की मां मूर्ति देवी, भाई अरविन्द तथा भाई के लड़के पंकज के साथ लात–घुसों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई, तमंचों से फायर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी दी।

<u>**बरामदगी के साक्ष्य की समीक्षा**</u>

60. अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष पर धारा–25 आयुध अधिनियम का भी आरोप है।

61. अभियोजन के अनुसार, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा दिनांक 11.12.2009 को समय 13.30 बजे अभियुक्तगण ओमवीर एवं अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष को पकड़कर, अरविन्द को तमंचे से फायर कर घायल करने की बाबत तमंचे के बारे में पूछने पर अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष द्वारा अरविन्द पर तमंचे से फायर कर तमंचे को भागते हुए काली नदी के किनारे झाड़ियों में एक पॉलीथीन में रखकर छिपाने के बारे में बताए जाने पर, अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष की निशानदेही पर एक अदद तमंचा 315 बोर मय नाल में फंसा हुआ एक खोखा कारतूस तथा एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। प्रश्नगत तमंचा बरामदगी के संबंध में अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किए जाने के संबंध में अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–9 के रूप में परीक्षित कराए गए साक्षी संजयपाल ने मुख्यपरीक्षा में चिक एफ.आई. आर. को प्रदर्श क–13 तथा जी.डी. मुकदमा कायमी को प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह में यह कथन किया है कि ''मेरे सामने आज इस मुकदमे की असल जी0डी0 नहीं है। मेरे सामने आज कोई मूल जी0डी0 नष्ट होने की कोई रिपोर्ट भी नहीं है।'' उक्त साक्षी ने जिरह में आगे यह भी कथन किया है कि ''जब हवालात में बंद करने से पहले मुलजिम की तलाशी ली गयी तो मुझे कुछ नहीं मिला।'' इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनानुसार, पत्रावली पर असल जी0डी0 न होने के साथ ही मूल जी.डी. नष्टीकरण की कोई रिपोर्ट भी पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली पर संलग्न फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित होता है कि फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। जबकि साक्षी पी.डब्ल्यू–9 अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि ''जब हवालात में बंद करने से पहले मुलजिम की तलाशी ली गयी तो मुझे कुछ नहीं मिला।'' इस प्रकार उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त को मौके पर फर्द की प्रति दिए जाना संदेहास्पद हो जाता है। धारा–25 आयुध अधिनियम से संबधित प्रकरण के विवेचक को अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू–10 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने मुख्यपरीक्षा में नक्शानजरी को प्रदश्र क–15, अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा चलाए जाने हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा दिए गए अनुमति–पत्र को प्रदर्श क–16 तथा

आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम को प्रदर्श क–17 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि ''मैने पूरी तफ्तीश में कहीं एस.आई. देवीराम से यह नहीं पूछा कि उन्होंने जनता के गवाह क्यों नहीं लिया। यह बात सही है कि मुलजिमान के गिरफ्तारी स्थल और बरामदगी स्थल के बीच में घटना वाला गांव जिसमें 307 आई.पी.सी. वाला मुकदमा कायम था, बीच में पड़ता है।'' इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा एवं विवेचक द्वारा जनता के गवाहान लिए जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

62. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फर्द बरामदगी में अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष की निशानदेही पर बरामदशुदा असलाह की बाबत अभियुक्त के पास कोई अनुज्ञा–पत्र नहीं होना दर्शाया गया है। अवैध तमंचा, खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस के संबंध में अभियोग चलाए जाने के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–16 के परिशीलन से विदित होता है कि तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाए जाने की स्वीकृति दी गयी है। संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त से कथित रूप से बरामदशुदा आग्नेयास्त्र को खोलकर देखा हो तथा उसे खोलने व देखने के उपरांत दुबारा सील कराया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रवली पर नहीं है, जबकि नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा असलाह व कारतूसों की जांच करके अनुमति दिए जाने का प्राविधान है। प्राप्त अनुमति–पत्र एवं संबंधित प्रपत्रों के परिशीलन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि बरामद बताए गए आग्नेयास्त्र व कारतूसों को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच किया जाकर पुनः सीलबंद किया गया हो। उक्त असलाह बरामदगी के साक्षी पी.डब्ल्यू–8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि ''पुलंदे पर एक जगह 'सीन' उसके नीचे आर.एम. उसके नीचे 12–12 तारीख स्पष्ट रूप से दिखायी दे रही है, लेकिन हस्ताक्षर नहीं दिख रहे हैं। इस कपड़ा पुलिंदे पर जिलाधिकारी के ना तो कोई हस्ताक्षर, ना मोहर है। फर्द बरामदगी के साक्षी पी.डब्ल्यू–8 के अतिरिक्त अन्य किसी फर्द बरामदगी के साक्षी को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। **चितबंत बनाम पंजाब राज्य ए. सी.सी. 1999 (38) पेज–305** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि फर्द बरामदगी पर किसी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर न होना, जबकि स्वतंत्र लोगों का अवागमन था तो यह तथ्य भी अभियोजन कथानक पर संदेह करने का आधार

पर्याप्त है। माननीय न्यायालय द्वारा **रामेश्वर बनाम राज्य ए.सी.सी. 1994 (31) पेज–327** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां अभियुक्त से बरामद हथियार की संस्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट से यांत्रिक रूप से प्रदान की गयी हो तो यह बरामदगी को संदिग्ध बनाता है।

63. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से अवैध हथियार की बरामदगी होना दर्शित किया गया है, परंतु विवेचक के द्वारा घटनास्थल पर बरामदगी के समय स्वतंत्र साक्षीगण को गवाह बनाने का प्रयास किया गया हो, ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियोजन अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष से बताए गए आग्नेयास्त्रों की बरामदगी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

64. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन यह संदेह से परे स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश, राजकुमार एवं ओमकार ने वादी मुकदमा के परिजनों के साथ लात–घुसों से मारपीट कर चोटें पहुंचाई, तमंचों से फायर कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी दी तथा दिनांक 11.12.2009 को समय 15.10 बजे पुलिस द्वारा अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष की निशानदेही पर एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस तथा एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए हों। अतः अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश, राजकुमार एवं ओमकार पर लगे आरोप अंतर्गत धारा–307/34, 323/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं आदेश उर्फ आदिष पर लगे आरोप अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

65. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य दाण्डिक अपील नं0–902 सन् 2023 निर्णीत दिनांकित 24.01.2024 में दाण्डिक विधि शास्त्र के इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराया है कि, ''संदेह चाहे कितना भी पुख्ता क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।''

66. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के उपरांत अभियोजन, अभियुक्तगण पर लगे आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

सत्र परीक्षण सं0–632 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम ओमवीर आदि'
एवं
सत्र परीक्षण सं0–633 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम आदेश'

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–632 सन् 2010, 'उ.प्र. राज्य बनाम ओमवीर आदि', मुकदमा अपराध संख्या–895 सन् 2009, थाना–मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्तगण ओमवीर, आदेश, राजकुमार तथा ओमकार धारा–307/34, 323/34, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या–633 सन् 2010, 'उ.प्र. राज्य बनाम आदेश उर्फ आदिष', मुकदमा अपराध संख्या–901 सन् 2009, थाना–मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में अभियुक्त आदेश उर्फ आदिष धारा–25 आयुध अधिनियमे के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरणों में जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(ए) के अनुपालन में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपए का एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभूगण दाखिल किए जाएं, जो निर्णय की तिथि से 06 माह की अवधि तक अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रभावी रहेंगे।

इस निर्णय की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण सं0–633 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम आदेश' की पत्रावली में रखी जाए।

सुसंगत पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात उपरोक्त सत्र परीक्षणीय वाद की पत्रावली अभिलेखागार संचित होवे।

दिनांक :–29.07.2026

(गरिमा सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

सत्र परीक्षण सं0–632 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम ओमवीर आदि'
एवं
सत्र परीक्षण सं0–633 सन् 2010 'उ.प्र. राज्य बनाम आदेश'

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक :–29.07.2026

(गरिमा सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।